SRO 19/2014 Scientific SB/B Gp-B

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Page 91 to 114
121 to 135

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, मार्च 9—मार्च 15, 2014, शनिवार/फाल्गुन 18—फाल्गुन 24, 1935

No. 5] NEW DELHI, MARCH 9—MARCH 15, 2014, SATURDAY/PHALGUNA 18—PHALGUNA 24, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.नि.आ. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नौसेना समूह "ख" (वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद पद) भर्ती नियम, 2003 और नौसेना समूह 'ग' और 'घ' (वैज्ञानिक स्टाफ) पद भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में समूह 'ख' वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) समूह 'ख' (वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद पद) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति ,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	47*(2014) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2: 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स या समुद्र विज्ञान विषय सहित बी.एस.सी डिग्री और दो वर्ष का अनुभव; या रसायन या इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी में डिप्लोमा और तीन वर्ष का अनुभव टिप्पण : दोनों डिग्री का अनुभव हो/निम्नलिखित क्षेत्र का डिप्लोमा धारक हो:— (क) तात्विक (धातु, मिश्रधातु, रबड़) विश्लेषण और तकनीक परीक्षण; या (ख) मशीनरी कोलाहल और कम्पन गति; विश्लेषण और तकनीक रूपांतरण; या (ग) तेलों, चिकनाई, विद्युत-अपघट्य और जल, आदि का रसायन विश्लेषण; या (घ) संक्षारण प्रक्रिया और शमन तकनीक का अध्ययन और विश्लेषण **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1** : पात्रता सेवा इस नियम के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर वैज्ञानिक सहायक के तत्कालीन पोषक श्रेणी पद धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष की निरंतर सेवा होगी। **टिप्पण 2** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी

	अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) —अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) —सदस्य 3. अवर सचिव (नियुक्ति), रक्षा मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक सहायक	88* (2014) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2: 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स या समुद्र विज्ञान में बी.एस.सी डिग्री सहित निम्नलिखित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव:— (क) तात्विक (धातु, मिश्रधातु, रबड़) विश्लेषण और तकनीक परीक्षण; या (ख) मशीनरी कोलाहल और कम्पन गति; विश्लेषण और तकनीक रूपांतरण; या (ग) तेलों, चिकनाई, विद्युत-अपघट्य और जल, आदि का रसायन विश्लेषण; या (घ) संक्षारण प्रक्रिया और शमन तकनीक का अध्ययन और विश्लेषण टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

(10)	(11)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	वेतन बैंड-1 में प्रोन्नति : वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में ऐसे प्रयोगशाला निदर्शन/प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है। टिप्पण 1 : पात्रता सेवा इस नियम के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर प्रयोगशाला निदर्शन के तत्कालीन पोषक श्रेणी पद धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष की निरंतर सेवा होगी। टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) — अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) —सदस्य 3. अवर सचिव (नियुक्ति), रक्षा मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. सीपी/एनबी/2828/सीपी-सीएससी स्टाफ/23/डी(नि.)/आरआर/2014]

रतन सिंह, अवर सचिव

910 GI/14-2

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th March, 2014

S.R.O. 19.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy Group 'B' (Scientific Staff Posts) Recruitment Rules, 2003 and the Ministry of Defence in the Navy Group 'C' and 'D' (Scientific Staff Posts) Recruitment Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Group 'B' Scientific Staff in Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'B', (Scientific Staff Posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification, pay band and grade pay/scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay/scales of pay attached thereto shall be as specified in columns [2] to [4] of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns [5] to [14] of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a persons having a spouse living, or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission in respect of Group "B" posts, relax and of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

'SCHEDULE'

Name of post	Number of posts.	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Scientific Assistant	47* (2014) (* Subject to variation dependant on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 grade pay-Rs. 4600.	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by absorption or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential . B.Sc. with Physics or Chemistry or Electronics or Oceanography having two years of experience; OR Diploma in Chemical or Electronics Engineering having three years experience. Note Experience for both Degree/ Diploma holders should be in the following fields:- (a) Material (metal, metal alloys, rubber) analysis and testing techniques OR (b) Machinery noise and vibration movements; analysis and reduction techniques OR (c) Chemical analysis of oils, lubricants, electrolyte and water, etc. OR (d) Study and analysis of corrosion process and mitigation techniques. Note 1 The qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or absorption, grades from which promotion or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
I. Promotion: Scientific Assistant in the scale of pay of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2 with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Note 1. The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the erstwhile feeder grade post of Scientific Assistant Grade-II on regular basis on the date of notification of this rule. Note 2. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3. For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :— 1. Director Civilian Personnel, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) —Chairman 2. Joint Director Civilian Personnel, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) —Member 3. Under Secretary (Appointments), Ministry of Defence —Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Assistant	68* (2014) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 grade pay-Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Essential</u>. B. Sc degree in Physics or Chemistry or Electronics or Oceanography with two years experience in the following fields:— (a) Material (metal, metal alloys, rubber) analysis and testing techniques OR (b) Machinery noise and vibration movements; analysis and reduction techniques OR (c) Chemical analysis of oils, lubricants, electrolyte and water, etc. OR (d) Study and analysis of corrosion process and mitigation techniques. **Note 1.** The qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No.	Two years for direct recruits	50% by promotion 50% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Laboratory Demonstrator/ Laboratory Assistant in the scale of pay of Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs.2800 in PB-1 with six years regular service in the grade. **Note 1.** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the erstwhile feeder grade post of Laboratory Demonstrator on regular basis on the date of notification of this rule. **Note 2.** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3.** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/ confirmation) consisting of:— 1. Director Civilian Personnel, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) —Chairman 2. Joint Director Civilian Personnel, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) —Member 3. Under Secretary (Appointments), Ministry of Defence —Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary

[F. No.CP(NG)/2828/Gp-B/Sc. Staff/25/D(Apptts)/RR/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.